


श्रीमान सदस्य जगन्नाथ प्रदल कैम्प जिला-रीवा (म.प्र.)



1. लक्ष्मण प्रसाद पिता स्व. त्रिवेणी प्रसाद आयु 46
  2. हीरालाल पिता स्व. त्रिवेणी प्रसाद आयु 46 साल
  3. तिजिया पति स्व. त्रिवेणी प्रसाद आयु 72 साल
- सभी निवासी ग्राम टिकुरी 37, तह.मनगवां जिला-रीवा (म.प्र.)

RS. 60/-

R5202-11/15

निगरानीकर्ता

### विरुद्ध

बद्री प्रसाद पिता जगन्नाथ काछी आयु 45 वर्ष निवासी-ग्रा टिकुरी 37 तह. मनगवां जिला-रीवा (म.प्र.)

गैरनिगरानीकर्ता

श्री. सुभाष चंद्र प्रसाद सिन्हा एड  
द्वारा आज दिनांक 03-12-15 के  
प्रस्तुत किया गया।

रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर  
आयुक्त संभाग रीवा के प्रकरण क्र.  
442/अपील/2014-15 पारित आदेश दिनांक  
29.09.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व  
संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लैखिक एवं मौखिक साक्ष्यों पर गौर नहीं किया गया तथा प्रस्तुत तर्क एवं न्याय दृष्टांत पर गौर किये बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

लक्ष्मण प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5202-दो/15

जिला -रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं । अतः आवेदक के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>सदस्य</p>	

M